

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना

पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आरएस कैंप कोर्ट : ग्राम पंचायत 297R

-: आदेश :-

दिनांक : 16/11/21

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 17 MB एवं भू-अभिलेख निरीक्षक 14 MB की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 14 MB / नाराय तहसीलदार 14 MB की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 14 MB तहसील 14 MB जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 14 MB में खाता सं. 9 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता सं. | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)                                 | आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)        |
|----------|--------------|----------|--|---|
| 1        | 2            | 3        | 4  | 5   |
| 1        | 14 MB        | 9        | कारा RTR, पालक<br>प्रमिष्टि का<br>RTR :-<br>SBBJ शाखा<br>न-म-घड़साना | काला लिए, पालक<br>प्रमिष्टि का<br>RTR :-<br>SBI शाखा<br>न-म-घड़साना |



(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

क्रमांक / रीडर / प्र.गां.सं.अ. / 2021 / 2216-18  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 16/11/21

1. तहसीलदार घड़साना / रावला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री दादाजी, पालक नि. नि. नि. को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना